

बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

श्री सदानन्द सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दि०-८. ०३.२०१३ को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-पुन-२७ के संबंध में

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,
मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार, पटना

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंडान्तर्गत पंचायत सिलहन-खजुरिया के अजय कुमार सिंह, पिता-स्व० तारिणी सिंह एवं राजकुमार तौती, पिता श्री राधे तौती की मृत्यु दि०-१८.०७.२०१० को वज्रपात गिरने से हो गयी थी,	स्वीकारात्मक ।
(२) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अधीन उपर्युक्त दोनों के मृत परिवारों को राशि वितरित करने हेतु २२ मार्च, २०१२ को राशि भेजी गयी थी, जो बिना वितरण के पुनः वापस हो गयी,	आंशिक स्वीकारात्मक । पीड़ित परिवार को अनुग्रह अनुदान की राशि तकनीकी कारणों से अंचल अधिकारी द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की जा सकी और इसे ३१ मार्च २०११ में विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया गया ।
(३) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पंचायत के ही बज्जल मुर्म एवं उदेश्वरी सिंह की भी मृत्यु वज्रपात से दि०-०६.०७.२०११ हो गयी थी,	स्वीकारात्मक ।
(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार इन चारों मृत परिवारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता की राशि का कब तक भुगतान कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	जिला पदाधिकारी द्वारा चारों मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु आवंटन(ज्ञापांक -१७७ दि०-७.०३.१३) अंचल अधिकारी,सन्हौला को उपलब्ध करा दिया गया है ।

कृ०पृ०३०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग


झापांक -04 / वि०स०ता०प्र०-29 / 2013 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०-

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक --8758 दि०-4. 03.2013 के क्रम में 3(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

झापांक -04 / वि०स०ता०प्र०-29 / 2013 / / आ०प्र०, पटना-15, दि०- 18/8/13
प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव